शोध मंथन Vol. XIII No.IV Oct.-Dec. 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

हिन्दू दम्पत्तियों में विवाह विच्छेद का एक कारण के रूप में घरेलू हिंसा की प्रासंगिकता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्राप्तिः 20.12.2022
स्वीकृतः 26.12.2022

105

अजय कुमार वर्मा
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
के०आर०(पी०जी०) कॉलेज, मथुरा
डॉ0 भीमरॉव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
ईमेलः *verma.ajay587@gmail.com*

डॉ० राजेश अग्रवाल
प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
के०आर०(पी०जी०) कॉलेज, मथुरा

सारांश

हिन्दू दम्पत्तियों में विवाह एक संस्कार के रूप में प्रचलित रहा है। परंतु सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक परिस्थितियों, संचार व अधिकारी के प्रति जागरूकता बढने के परिणाम स्वरूप विवाह विच्छेदन की अवधारणा का उदभव हुआ जिसके अनेकों कारण हैं। परंतु इसका एक प्रमुख कारण घरेलू हिंसा भी रहा है। इसलिए हम इस पक्ष का विश्लेषण करेंगे कि घरेलू हिंसा कहाँ तक जिम्मेदार है। इस क्रम में हम घरेलू हिंसा, विवाह, विच्छेद, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 व घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानो साहित्य पुर्नावलोकन तथा वर्तमान समय में घरेलू हिंसा व तलाक की स्थिति आदि पहलुओं पर चर्चा करते हुए। वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। व कुछ समाधान हेतु प्रयास पर भी चर्चा रहेगी।

भारतीय न्यायिक प्रणाली के अनुसार ''घरेलू हिंसा तलाक का विकल्प किसी भी भावनात्मक या शारीरिक रूप से हानिकारक रिश्ते के खिलाफ चुना जा सकता है।''

मुख्य बिन्दु

विवाह विच्छेद, तलाक, घरेलू हिंसा साहित्य पुर्नावलोकन, लैगिंक हिंसा।

घरेलू हिंसा की अवधारणा व अर्थ

घरेलू हिंसा पति द्वारा पत्नी को यातनायें देना तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसके प्रति हिंसात्मक कार्य शामिल है। पत्नी को पीटना गाली गलौज करना, उसे शारीरिक या मानसिक यातना देना, घरेलू हिंसा कहलाती है। कयी बार पति द्वारा पत्नी के साथ की गयी हिंसा को विभिन्न आधारों पर उचित ठहराने के प्रयास किये जाते हैं रुढ़ीवादी सोच रखने वाले परिवारो में तो ऐसे मामले तभी उजागर होते हैं जब घरेलू हिंसा गंभीर रूप धारण कर लेती है व मुद्दा तलाक तक पहुँच जाता है।

स्ट्रास के अनुसार ''किसी भी चोट या नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया आघात हिंसा है, चाहे उसे वास्तव में चोट न पहुँचायी गयी हो।''

तलाक का उदभव अर्थ व अवधारणा

डाइवोर्स (विवाह विच्छेद) की उत्पत्ति डाइवर्स से हुयी है। लैटिन भाषा में इसके लिए डाइर्वोर्टिया शब्द का प्रयोग हुआ है। सामान्य तौर पर विवाह विच्छेद का अभिप्राय विवाह के विघटन के लिए एक नाम के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं होता।

कॉन्सिस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलाजी (1994) के अनुसार ''कानूनी रूप से गठित विवाह का औपचारिक कानूनी विघटन तलाक कहलाता है।''

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत स्त्री या पुरुष दोनों ही तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। यह अधिनियम हिन्दुओं सिक्खों, बौद्ध धर्म मानने वाले और उन सब व्यक्तियों पर लागू होता है जो कि मुस्लिम, पारसी, इसाई या यहूदी न हो इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत तलाक के प्रमुख कारण–

- पति या पत्नी में से किसी एक का व्यभिचारी होना।
- गलत जानकारी देकर या किसी प्रकार का दबाव डालकर विवाह करने पर।
- विवाह के बाद परिवार में कलह का होना।
- पति द्वारा पत्नी का शारीरिक व मानसिक शोषण अधिक होना।

साहित्य समीक्षा

किसी भी शोध को प्रारम्भ करने से पूर्व उन अध्ययनों से सम्बन्धित साहित्यों का पुनर्रावलोकन करना आवश्यक हो जाता है। साहित्य समीक्षा से नए सम्भावितों की जानकारी प्राप्त होती है। जिससे वर्तमान अनुसंधान की सही एवं समग्र दिशा प्राप्त होती है।

क्लाइड क्लुकहोकन के अनुसार ''जब तक उपलब्ध सामग्री स्त्रोतों के अधिकांश अंश संग्रहित संश्लेषित नही किए जाएं तब तक अनुसंधान सामग्री के दृष्टिकोण से अपूर्ण रहेगा।''

इस अध्ययन से जुड़े, पूर्व में किए गए शोध कार्यों एवं प्रस्तुत अध्ययनों का विवरण अधोलिखित है–

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य

शर्मा सुधा (2007) की पुस्तक 'वुमेन मैरिज इन इण्डिया मैरिज, डिवोर्स एवं अडजस्टमैन्ट' भारत में विवाह सम्बन्धों को लेकर है। इस पुस्तक का केन्द्र महिला है वे बताती हैं, कि किस प्रकार एक कन्या, जन्म से लेकर विवाह की आयु होने तक अपने माता–पिता के घर रहती है। विवाह पश्चात् वह अपने पति के घर जाती है और समाज के नियमों के अनुसार मृत्युपर्यन्त वही रहती है। इस प्रकार वह अपने पूरे जीवन में पुरुषों पर ही निर्भर रहती है। उसे हमेशा ही कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। कई बार परिसिंतियाँ इतनी प्रतिकूल हो जाती है। कि स्त्री को संबंध विच्छेद करने का निर्णय लेना पड़ता है। तलाक का कारण चाहे जो भी रहे समाज प्रायः स्त्री को ही दोषी मानता है।

महोम्मद (2001) के अनुसार 21 प्रतिशत तलाकों का कारण पति या पत्नी का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उनके अनुसार 90.23 लाख बेमेल विवाह और शेष मादक दृव्य व्यसन आदि के कारण होता है। उन्होंने तलाक के कुछ और भी प्रमुख कारण बताये हैं। यह पति और पत्नियों की अपने जिम्मेदारी के निर्वहन में विफलता धार्मिक संस्कारों का अभाव, तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप, संस्कृति में अंतर यौन समस्यायें, पैसा और कैरियर उन्मुखता है।

देसाई कुमुद (2014) की पुस्तक ''इण्डियन लॉ मैरिज एण्ड डिवोर्स'' भारतीय संविधान में शामिल हिन्दू विवाह अधिनियम तथा सम्बन्धित अन्य कानूनों की चर्चा करती है। लेखिका ने तलाक के विस्तृत प्रकृय एवं इससे जुड़े कानूनों को बताने के साथ–साथ महिलाओं के तलाक पश्चात् अधिकारों के बारे में भी बताया है मुस्लिम, पारसी, ईसाई आदि धर्मों में तलाक की स्थिति व स्त्री के अधिकारों की चर्चा करती है।

1. सिंह कीर्ति (2014) की पुस्तक सेपरेटेड एण्ड डिवोर्सड वुमेन इन इण्डिया–इकोनोमिक राइट्स एण्ड एनटाइटलमेंट' उन महिलाओं के आर्थिक आधारो एवं अधिकारों के बारे में बताती है जो या तो तलाकशुदा है। अथवा अपने पति से अलगाव का दुख (शारीरिक व मानसिक हिंसा) सह रही है।

   अध्ययन में पाया कि ऐसी स्त्रियों को विभिन्न सामाजिक समस्याओं के साथ आर्थिक असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार समाज की शोषित सोच भी इसका एक बड़ा कारण है जिसे बदलने की आवश्यकता है।

2. डा० रजना कुमारी योजना (2021) लेख स्त्री हत्या की रोकथाम : इसमें स्त्री–पुरुष के मध्य असमानता व महिला हत्या पर चर्चा की गयी है तथा कोविड़ महामारी के दौरान घरेलू हिंसा अंतरंग साथ द्वारा हिंसा, महिलाओं पर दुहरे कार्य की चर्चा की गयी इस दौरान तलाक के मामले भी ज्यादा दर्ज किये गये।

3. सविता बनवाना (International Journey of Applied Research)– में प्रकाशित ''महिला सशक्तिकरण के युग में घरेलु हिंसा (2019) लेख द्वारा लिखित है। जिसमें महिला आयोग की रिपोर्ट पर आधारित महिला उत्पीड़न के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं 40 मिनट में एक अपहरण 120 मिनट में एक दहेज हत्या होती है।'

4. डॉ० एस० के० अग्रवाल, वी० सेंग गुप्ता इन्टरनेशल जर्नल ऑफ रिव्यूह एण्ड रिसर्च इन सोशल साइंस (2019) में प्रकाशित घरों में पत्नी हिंसा के चक्रव्यूह में महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन से स्पष्ट किया है कि अनपढ़ महिलाओं के साथ–साथ कम शिक्षित नारिया भी पुरुष को श्रेष्ठ मानती हैं। केवल एक तबके की नारियों में आये परिवर्तन को सभी पर लागू करना अतिश्योक्ति होगी।

5. सीमोन द बोडवा ने अपनी पुस्तक 'द सेकण्ड सेक्स (2002)' में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पुरुषों में शक्ति तथा आक्रामकता के गुण स्वाभाविक रूप से विकसित किए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत स्त्रियों में लज्जा तथा सहनशीलता के गुण विकसित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की विवाहित महिलाऐं स्वयं यह मानकर चलती हैं कि पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है। अतः वह अपनी पत्नी के ऊपर तमाम अधिकार रखता है, यहां तक कि पीटने का भी। भारतीय सन्दर्भों में किए गए आनुभाविक अध्ययनों से परिणाम की समीक्षाओं से यह तथ्य भी सामने आया है कि पिछले बीस पच्चीस वर्षों की अपेक्षा अब पत्नियों के साथ गाली–गलौज मारपीट तथा दुर्व्यवहार कम हो गया है। कुछ ऐसे सकारात्मक कारण हैं, जिससे इस पारिवारिक हिंसा में कमी आई है। इनमें शिक्षा का प्रसार तथा गतिशीलता में वृद्धि प्रमुख हैं। शिक्षा के प्रचार से स्त्री व पुरुषों की सोच एवं मानसिकता में परिवर्तन आया है। यातायात व संचार के साधनों में प्रगति होने से गतिशीलता में वृद्धि हुई है। जिन ग्रामीण लोगों का सम्पर्क नगरों तथा महानगरों से हुआ है, जिससे उनकी सोच व मानसिकता परिवर्तित हुई हैं। शिक्षा तथा गतिशीलता से पुरुष की अपनी पत्नी को दासी मानने की प्रवृत्ति कम होती है और साथ ही महिलाओं की कार्य शैली में भी सुधार होता है। गतिशीलता कम पढ़े लिखे व्यक्तियों की मानसिकता को भी प्रभावित करती है।

6. आहूजा राम (Crime Against Women% 1987) ने अपने आनुभाविक शोध अध्ययन के आधार परन निष्कर्षतः लिखा है कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का वर्गीकरण निम्नवत् हो सकता है–

- अपराधिक हिंसाा– जैसे बलात्कार, अपहरण, हत्याऐं।
- घरेलू हिंसा– दहेजी हत्याएँ, पत्नी को मरना–पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, वृद्धाओं तथा विधवाओं के साथ हिंसा।
- सामाजिक हिंसा– पत्नी व पुत्रवधु को मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना, अल्पवयस्क व विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्रवधु को और अधिक दहेज लाने के लिए बाध्य करना/सताना इत्यादि।

सक्सैना मंजुलता (विवाहित महिलाएं तथा पारिवारिक हिंसा 2010) ने अपने सर्वेक्षण अध्ययन में पाया कि पारिवारिक हिंसा के कारणों में दम्पत्ति में से पति की अहम भावना, अधिकार तथा प्रबलता की प्रवृत्ति पति में शक्कीपन की भावना, पति की बात पत्नी द्वारा न मानना, परिवार के महिला सदस्यों के पारिवारिक झगड़े, घर गृहस्थी के कार्य ठीक से करना, पति या शराबी होना, घरेलू व अन्य कार्यों को पति की इच्छानुसार न करना, पत्नियों को अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना या फिर अनदेखी करना पत्नी का पति का पसन्द के अनुरूप न होना, पुत्रियों की अधिक संख्या, दहेज लोभी पति बार–बार दहेज की मांगे इत्यादि प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं जो घरेलू उत्पीड़न एवं हिंसा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्नियों को पीटने वाले पतियों का यह मानना है कि वे अपनी पत्नियों को मारना पीटना नहीं चाहते लेकिन पत्नियां ही उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर, प्रेरित तथा विवश करती है।

वर्तमान स्थिति

पिछले वर्ष 644(13 प्रतिशत) महिलाओं ने शारीरिक घरेलू हिंसा, 188 (4 प्रतिशत) यौन हिंसा और 963 (19 प्रतिशत) ने भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया था। विवाहित महिलायों में 13 प्रतिशत महिलाओं ने पिछले वर्ष शारीरिक या यौन अंतरंग साथी हिंसा का अनुभव किया था। 35 प्रतिशत महिलाएं अपने पतियों से डरती है।

भारत में हर 25 मिनट पर एक हाउस बाइफ आत्महत्या कर लेती है। (बी०बी०सी० न्यूज) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 22,372 गृहणियों ने आत्महत्या की थी। इसके अनुसार हर दिन 61 और 25 मिनट में एक आत्महत्या हुयी।

23.5 प्रतिशत तलाक घरेलू हिंसा के कारण होते हैं। लगभग एक चौथाई सर्वेक्षण उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके विवाह में शारीरिक और भावनात्मक शोषण तलाक या महत्वपूर्ण कारण है। कई उत्तरदाताओं ने कहा कि समय के साथ दुर्व्यवहार बढ़ता गया, और अधिक तीव्र चक्र के बाद पछतावा हुआ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों व आंकड़ो, विवरण के आधार पर यह समझा जा सकता है कि पारिवारिक क्लेश व घरेलू हिंसा के कारण न केवल तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है अपितु आत्महत्याओं के जो आंकड़े प्राप्त हुये है वह काफी चिन्ताजनक है।

इस स्थिति ने निपटने के लिए विधिक संस्थाओं के अतिरिक्त सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं का योगदान अधिक होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सहयोग तलाक व आत्महत्याओं व घरेलू हिंसा के निवारण हेतु कारगर व सराहनीय प्रयास होगा।

''परिवार समाज की मूल इकाई है, इसका सुदृढ़ होना अति आवश्यक है।''

संदर्भ

1. (1955). हिन्दू विवाह अधिनियम।
2. (2005). घरेलू हिंसा अधिनियम।
3. शर्मा, सुधा. (2007). वुमेन मैरिज इन इण्डिया मैरिज डिवार्स एवं एडजस्टमैंट।
4. प्रो० मुहम्मद. (2001). द्वारा किया अध्ययन।
5. देसाई, कुमुद. (2014). इण्डियन लॉ ऑफ मैरिज एंड डाइवार्स।
6. सिंह, कीर्ति. (2014). सेपरेटेड एण्ड डिवोर्सड वुमेन इन इण्डिया–इकोनोमिक राइट्स एण्ड एनटाइटलमेंट।
7. कु० डा० रंजना. (2021). योजना (लेख) हत्या की रोकथाम।
8. (2018). International Journey of Applied Reach. लेख।
9. Agarwal, Dr. S.K. (2019). V. Sengupta International Journey of Reviews & Social Science.
10. सीमोन द वोउबा. (2002). द सैकण्ड सैक्स।
11. अहूजा, राम. (1987). सामाजिक समस्याएं।
12. बी०बी०सी० न्यूज।
13. नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकडे आदि।